



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042025-262331
CG-DL-E-07042025-262331

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1606]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2025/चैत्र 17, 1947

No. 1606]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2025/CHAITRA 17, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2025

का.आ. 1637(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज (पैन: AAAGP1340M) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित) उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 2018 का 5) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, वशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 2018 का 5) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 29/2025/फा. सं. 300195/29/2024-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2025

S.O. 1637(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies the Prayagraj Mela Pradhikaran, Prayagraj (PAN: AAAGP1340M) (hereinafter referred to as "the assessee"), an authority constituted under the Uttar Pradesh Prayagraj Mela Authority, Allahabad Act, 2017 (U.P. Act, N.o.5 of 2018), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Uttar Pradesh Prayagraj Mela Authority, Allahabad Act, 2017 (U.P. Act, N.o.5 of 2018) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 29/2025/F. No. 300195/29/2024-ITA-I]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.